अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 24/2022 (सीआईएस 24/22)
नाथूलाल व अन्य बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेफरेंस सं. 24/2022 **नाथूलाल व अन्य बनाम जविप्रा व अन्य** **दिनांक 15.07.2026** रेफरेंसकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार पारीक उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर चांवला उपस्थित। अप्रार्थी सं 2 से 4 के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। बहस रेफरेंस सुनी गई। पत्रावली व विधि के प्रावधानों का अवलोकन व मनन किया गया। रेफरेंसकर्ता द्वारा हस्तगत रेफरेंस के माध्यम से निम्न प्रकार अनुतोष चाहा गया है। '' रेफरेन्स स्वीकार फरमायी जाकर अप्रार्थी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण / रेफरेन्सकर्तागण की आराजी भूमि खसरा नम्बर 899 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 2342 रकबा 0.8900 हैक्टेयर वाके राजस्व ग्राम नींदड, तहसील–आमेर में अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा की जा रही अवैधानिक कार्यवाही को रूकवाया जावें तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के शांतिपूर्वक किये जा रहे उपयोग एवं उपभोग, कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा एवं मजाहमत पैदा नहीं करें, प्रार्थीगण की आराजीयात में जोर–जबरन किसी प्रकार की आवासीय योजना विकसित नहीं करें, पट्टे जारी नहीं करें, रोडे इत्यादि नहीं डाले, विद्युत पोल इत्यादि नहीं लगावें, आवासीय योजना का बोर्ड नहीं लगावें। ऐसा ना तो अप्रार्थीगण स्वयं ही करें तथा ना ही अपने किसी एजेन्ट / सर्वेन्ट / प्रतिनिधि इत्यादि से ही करें / करावें। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 द्वारा प्रार्थीगण की आराजियात में अवैधानिक तरीके से कागजों में काटी गई आवासीय योजना का नियमन नहीं करें, जे.डी.ए. पट्टे जारी नही करें।'' जविप्रा द्वारा निम्न प्रकार जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है। '' नेट से प्राप्त जमाबन्दी के अनुसार ग्राम नींदड़ खसरा संख्या 2342 रकबा 0.8900 हैक्टेयर किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज है। जो कि जविप्रा की खातेदारी में दर्ज है।'' सुना गया। यह अधिकरण हस्तगत रेफरेंस को निम्न प्रकार निस्तारित किया जाना न्यायसंगत समझता है।	

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 24/22 (सीआईएस 24/22)

बंशी नाथूलाल व अन्य बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश रेफरेंसकर्ता की ओर से प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस आंशिक रूप से स्वीकार कर यह अधिकरण जविप्रा को आदेशित करता है कि विधि की प्रकिया अपनाये बिना किसी प्रकार की कार्यवाही / तोडफोड / ध्वस्तीकरण नहीं किया जाये। रेफरेंस का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।	